न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण, सीकर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **रूपा गुप्ता (जिला न्यायाधीश संवर्ग)**

विशिष्ट प्रकरण संख्या : 253/2023

सी.एन.आर. नंबर : RJSK010022282023

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 184/2023

पुलिस थाना : कोतवाली सीकर

राजस्थान राज्य **बनाम** रामू व अन्य

अपराध अन्तर्गत धारा 8/21, 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम

भाग– प्रथम

A

परिवादी	पवन कुमार पुलिस निरीक्षक
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक
अभियुक्तगण का नाम व पता	1. रामू पुत्र धर्मसिंह उर्फ धन सिंह निवासी ग्राम तीखा तहसील दिपाईल सिलगढ़ी जिला टोटी नेपाल (हाल आबाद वार्ड नंबर 65 बिस्मिल्ला कॉलोनी फतेहपुर रोड, सीकर पुलिस थाना कोतवाली सीकर जिला सीकर 2. मोहम्मद शाहरूख पुत्र मोहम्मद युनूस निवासी वार्ड नंबर 58 मिलत नगर पाडा मण्डी के पास दोनों रेल्वे लाईनों के बीच, सीकर पुलिस थाना कोतवाली सीकर जिला सीकर
विशिष्ट लोक अभियोजक	श्री सांवरमल बिजारणियां
अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री फैसल खां, अभियुक्त रामू की ओर से श्री ताराचंद यादव, अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख की ओर से

B

अपराध की दिनांक	26.03.2023
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26.03.2023
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	01.08.2023
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	03.02.2025
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	13.05.2026
बहस सुने जाने की दिनांक	18.06.2026
निर्णय दिनांक	20.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	20.06.2026

''प्रामाणिक दस्तावेज''

C

अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	रामू	26.03.2023	21.04.2023	8/21 एन.डी.पी. एस. एक्ट	**दोषसिद्ध**	**कारावास व अर्थदण्ड**	26.03.2023 से 21.04.2023
02	मोहम्मद शाहरूख	26.03.2023	10.05.2023	8/29 एन.डी.पी. एस. एक्ट	**दोषमुक्त**	–	26.03.2023 से 10.05.2023

भाग द्वितीय

अभियोजन/बचाव/न्यायालय गवाहान की सूची

अ–अभियोजन गवाहान

क्रम	नाम	साक्ष्य का प्रकार
पी.डब्ल्यू 1	हिदायत अली	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 2	दिनेश कुमार	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 3	संत कुमार	मालखाना प्रभारी
पी.डब्ल्यू 4	लक्ष्मणराम	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 5	मुकेश कुमार	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 6	रामलाल	पुलिस गवाह
पी.डब्ल्यू 7	दुर्गाराम	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 8	दलीप कुमार	चश्मदीद गवाह
पी.डब्ल्यू 9	वेदप्रकाश	कैरियर
पी.डब्ल्यू 10	अशोक	अनुसंधान अधिकारी
पी.डब्ल्यू 11	पवन कुमार	सीजर अधिकारी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं	प्रदर्श नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श पी. 1	तलबी नोटिस
2	प्रदर्श पी. 2	रिपोर्टशुदा तलबी नोटिस
3	प्रदर्श पी. 3	स्वतंत्र गवाह बनने हेतु लिखित में दिया गया सहमति पत्र
4	प्रदर्श पी. 4	नोटिस अंतर्गत धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट
5	प्रदर्श पी. 5	फर्द चैकिंग एवं जब्ती अवैध स्मैक पाउडर
6	प्रदर्श पी. 6	फर्द नमूना सील

7	प्रदर्श पी. 7	फर्द नष्ट नमूना सील
8	प्रदर्श पी. 8	नक्शा मौका
9	प्रदर्श पी. 9	रोजनामचा रवानगी
10	प्रदर्श पी. 10	रोजनामचा वापसी
11	प्रदर्श पी. 11	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त रामू
12	प्रदर्श पी. 12	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख
13	प्रदर्श पी. 13 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
14	प्रदर्श पी. 14 ए	डिस्पेज रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
15	प्रदर्श पी. 15 ए	रिसिव्ड रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
16	प्रदर्श पी. 16	धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की ईत्तला
17	प्रदर्श पी. 17	एफ.एस.एल. प्राप्ति रसीद
18	प्रदर्श पी. 18	फर्द ईत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त रामू
19	प्रदर्श पी. 19	फर्द ईत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त रामू
20	प्रदर्श पी. 20	फर्द ईत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त शाहरूख
21	प्रदर्श पी. 21	फर्द ईत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम अभियुक्त शाहरूख
22	प्रदर्श पी. 22	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
23	प्रदर्श पी. 23	रपट रोजनामचा रवानगी
24	प्रदर्श पी. 24	रपट रोजनामचा आमद
25	प्रदर्श पी. 25	इन्वेंट्री रिपोर्ट
26	प्रदर्श पी. 26	इन्वेंट्री प्रमाण पत्र
27	प्रदर्श पी. 27 से 39	इन्वेंट्री कार्यवाही के फोटोग्राफ
28	प्रदर्श पी. 40	प्राप्ति रसीद
29	प्रदर्श पी. 41	इन्वेंट्री कार्यवाही के लिए थानाधिकारी को प्रेषित तहरीर
30	प्रदर्श पी. 42	इन्वेंट्री कार्यवाही की न्यायालय की आदेशिका
31	प्रदर्श पी. 43	इन्वेंट्री रिपोर्ट भेजने बाबत् कवरिंग लेटर
32	प्रदर्श पी. 44	मालखाना में माल जमा करवाने की फर्द धारा 55 एन.डी.पी.एस. एक्ट
33	प्रदर्श पी. 45	कायमी पर्चा
34	प्रदर्श पी. 46	चाक एफ.आई.आर.
35	प्रदर्श पी. 47	फर्द नमूना सील
36	प्रदर्श पी. 48 ता 51	रपट रोजनामचा

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नम्बर	विवरण
1	प्रदर्श आर्टिकल 1	सफेद कपड़े की थैली मार्का ए (नमूना सैम्पल)
2	प्रदर्श आर्टिकल 2	सफेद कपड़े की थैली मार्का बी (कन्ट्रोल सैम्पल)

3	प्रदर्श आर्टिकल 3	सफेद कपड़े की थैली मार्का सी (वजह सबूत)
4	प्रदर्श आर्टिकल 4	सफेद कपड़े की थैली के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कांटा मार्का डी
5	प्रदर्श आर्टिकल 5	₹ 42,750, रामूराम का आधार कार्ड, प्लास्टिक की छोटी थैलियां मार्क ई

निर्णय **दिनांक–20.06.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.03.2023 को श्री पवन कुमार चौबे पुलिस निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना कोतवाली सीकर पर फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध स्मैक पाउडर इस आशय की प्रस्तुत की गई थी कि दिनांक 26.03.2023 को वह हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक, दुर्गाराम हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल लक्ष्मणराम, दलीप कुमार व दिनेश कुमार के साथ सरकारी गाड़ी व प्राईवेट वाहन से संदिग्ध एवं बदमाशान की चैकिंग हेतु समय 11.03 ए.एम. पर थाना से रवाना होकर समय 11.30 ए.एम. पर पुलिस चौकी नॉर्थ सीकर से आगे पावर हाउस के सामने फतेहपुर रोड़, सीकर पहुंचा तो देखा कि सामने से एक गली से एक व्यक्ति गले में काली बैग डाले हुए सडक की तरफ आता हुआ पुलिस को बावर्दी देखकर वापस गली में भागने लगा। उस व्यक्ति का पीछा कर थानाधिकारी द्वारा उक्त शख्स को नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामू बताया था तथा भागने का कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उसके कब्जे में डालकर रखे काले रंग के बैग में मादक पदार्थ होने की आशंका होने पर तलाशी लिया जाना आवश्यक होने पर हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक को हुक्मनामा दिया जाकर दो स्वतंत्र गवाह को तलब करने हेतु भिजवाया गया था, जिसने कोई मौतबिर बनने के लिए तैयार नहीं होने की रिपोर्ट पेश की थी। तब जाप्ता में से हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक व दुर्गाराम हैड कांस्टेबल से स्वतंत्र गवाह बनने की सहमति प्राप्त कर शख्स रामू को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर रामू की सहमति से मौतबिरान को स्वयं की तलाशी देकर रामू के पास मिले बैग को चैक किया गया तो बैग में चार चैनदार जेब मिली थी। प्रथम चैन को चैक करने पर एक सफेद प्लास्टिक की थैली में सफेद रंग का पाउडर मिला था जिसे थानाधिकारी व जाप्ता को अपने अनुभव के आधार पर स्मैक पाउडर होना मालूम हुआ था। उसके पास वाली जेब में इलेक्ट्रॉनिक तुलाई का छोटा कांटा, तीसरी बड़े जेब में ₹ 50, 100, 200, 500 के कुल ₹ 42,750 मिले थे एवं चौथे खण में रामू का आधार कार्ड व प्लास्टिक की थैलियां मिली थी।

2. फर्द चैकिंग व जब्ती में आगे अंकित किया गया है कि रामू को अपने कब्जे में मिले उक्त सामान बाबत् पूछा गया तो प्रथम जेब की प्लास्टिक की थैली में विक्रय के लिये स्मैक जैसा सफेद पाउडर, दूसरी जेब में स्मैक पाउडर को बेचने का कांटा, तीसरी जेब में स्मैक बिक्री की नकद राशि तथा चौथी जेब में अपना आधार कार्ड व प्लास्टिक की खाली थैलियां होना बताया था। कांटे से स्मैक पाउडर का वजन करने पर वजन 9.6 ग्राम होना पाया गया तथा उक्त स्मैक अपने कब्जे में रखने व बेचने बाबत् कोई लाइसेंस व अनुमति पत्र नहीं होना बताया। उक्त स्मैक मोहम्मद शाहरूख से खरीदकर शहर में घूमकर नशेड़ियों को अधिक दामों पर बेचकर मुनामा कमाना बताया। इस प्रकार शख्स रामू द्वारा अवैध रूप से 9.60 ग्राम स्मैक अपने कब्जे में रखकर विक्रय करने के लिए घूमना अपराध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने पर शख्स रामू के कब्जे में मिले अवैध स्मैक पाउडर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, स्मैक बिक्री की राशि, खाली प्लास्टिक की थैली मय आधार कार्ड व बैग को कब्जा पुलिस में लिया जाकर स्मैक पाउडर में से 2 ग्राम स्मैक पाउडर को बतौर नमूना सैम्पल एफ.एस.एल. व 2 ग्राम कंट्रोल सैम्पल हेतु पृथक से निकाला जाकर प्लास्टिक की थैलियों सहित पृथक–पृथक सफेद थैलियों में रखक थानाधिकारी की निजी सील से सील्ड मोहर कर नमूना सैम्पल एफ.एस.एल. पैकेट पर मार्का ए व कन्ट्रोल सैम्पल पैकेट पर मार्क बी अंकित किया गया तथा शेष बचे 5.6 ग्राम स्मैक पाउडर को उसी पॉलिथीन सहित कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्का सी अंकित किया गया। स्मैक तोलने का इलैक्ट्रॉनिक कांटा को एक सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर मार्का डी व स्मैक बिक्री की राशि, आधार कार्ड, खाली पॉलिथीन की थैली को उसी काले रंग के बैग में डालकर बैग को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्का ई अंकित किया गया। जप्ती के दौरान काम में ली गयी नमूना सील की नष्टीकरण व मुलजिम रामू की फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार की जावेगी...इत्यादि।

3. श्री पवन कुमार चौबे पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सीकर द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त फर्द चैकिंग व जब्ती अवैध स्मैक पाउडर के आधार पर पर्चा कायम किया जाकर पुलिस थाना कोतवाली सीकर पर मुकदमा संख्या 184/2023 पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान श्री अशोक चौधरी पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना सदर सीकर के जिम्मे किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त

रामू के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/21 व अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/29 के अधीन दण्डनीय अपराध में दिनांक 01.08.2023 को आरोप पत्र प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

4. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त रामू के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/21 व अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/29 के अधीन दण्डनीय अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए पृष्ठ संख्या 2 ता 4 पर भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान करवाये व दस्तावेजात् प्रदर्शित करवाये।

6. अभियोजन साक्ष्य की समाप्ति के बाद अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत किया गया तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं का निर्दोष होना एवं झूंठा फंसाया जाना बताते हुए बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा।

7. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु विचारणीय बिन्दू यह है कि:–

(1) क्या दिनांक 26.03.2023 को समय 11.30 ए.एम. के लगभग पुलिस चौकी नॉर्थ, सीकर के आगे पॉवर हाउस के सामने फतेहपुर रोड सीकर पर अभियुक्त रामू के पास अवस्थित बैग की तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से बिना वैध अनुज्ञा पत्र के मादक पदार्थ 9.6 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद हुआ था जो उसके द्वारा सह–अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख से खरीदकर सीकर शहर में घुमकर अधिक दामों पर बेचकर मुनाफा कमाने के लिए ले जा रहा था?

(2) क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त रामू से बरामदशुदा मादक पदार्थ 9.6 ग्राम स्मैक पाउडर अभियुक्त रामू द्वारा अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख से क्रय कर मुनाफा कमाने के लिए ऊँचे दामों में विक्रय करने हेतु ले जाया जा रहा था। इस प्रकार अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख ने उक्त मादक पदार्थ को बिना वैध अनुज्ञा पत्र के अपने कब्जे में रखने, विक्रय करने एवं परिवहन का दुष्प्रेरण किया?

8. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

9. विद्वान विशिष्ट लोक अभियोजक का तर्क है कि दिनांक 26.03.2023 को सीजर अधिकारी द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त रामू के पास मिले बैग की

नियमानुसार तलाशी लिए जाने पर उसके कब्जे से मादक पदार्थ 9.6 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद हुआ था। प्रकरण में अभियुक्त रामू के कब्जे से मादक पदार्थ की बरामदगी चैकिंग के दौरान बरामद हुई है, इसलिए अधिनियम की धारा 42 (2) की पालना आवश्यकता नहीं थी। सीजर अधिकारी द्वारा प्रकरण में अधिनियम की धारा 50, 55, 57 की नियमानुसार पालना की गई है। अभियुक्त रामू से बरामदशुदा मादक पदार्थ सह–अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख द्वारा अभियुक्त रामू को विक्रय किया गया था। इस प्रकार प्रकरण में उचित रूप से अनुसंधान कर अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित मानकर आरोप पत्र पेश किया गया था। अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध पूर्ण रूप से साबित है, इसलिए अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाकर कठोर सजा से दण्डित किया जावे।

10. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रकरण में सीजर अधिकारी व गवाहान की साक्ष्य से यह बखूबी साबित है कि बरामदगी स्थल भीड़भाड़ा वाला ईलाका था, बावजूद इसके सीजर अधिकारी द्वारा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष कार्यवाही नहीं की गई है। सीजर अधिकारी ने अधिनियम की धारा 50 की समुचित रूप से पालना नहीं की है। सीजर अधिकारी द्वारा मौका पर राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया है ना ही मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सैम्पल लिए गए हैं, इस प्रकार प्रकरण में अधिनियम की धारा 52 ए की पालना नहीं की गई है।

11. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह भी तर्क रहा है कि सीजर अधिकारी द्वारा जब्तशुदा माल को निकटतम माखाना में जमा नहीं करवाया गया है ना ही जब्तशुदा मादक पदार्थ को मालखाना में जमा करवाए जाने से पूर्व रीसील किया गया है ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 55 की पालना किए जाने का तथ्य भी साबित नहीं होता है। प्रकरण में अधिनियम की धारा 57 की सूचना पुलिस अधीक्षक को नहीं भिजवाई गई है। प्रकरण में मादक पदार्थ की बरामदगी दिनांक 26.03.2023 को होने के पश्चात् इन्वेंट्री की कार्यवाही दो माह बाद दिनांक 02.06.2023 को करवाई गई है। इन्वेंट्री के दौरान लिए गए सैम्पल विधि विज्ञान प्रयोगशाला को परीक्षण हेतु नहीं भिजवाया गया है। इस प्रकार प्रकरण में अभियोजन की ओर से अधिनियम के आज्ञात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई है। अभियोजन अपना मामला साबित करने में असफल रहा है। अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किया जावे।

12. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

13. हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 11 गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध करवाई गई है। गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार प्रकरण का सीजर अधिकारी है। गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार सीजर अधिकारी का कथन है कि वह दिनांक 26.03.2023 को पुलिस थाना कोतवाली सीकर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज वह दुर्गाराम हैड कांस्टेबल, लक्ष्मण सिंह, दलीप कुमार व दिनेश कुमार कांस्टेबल तथा हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक के साथ समय 11.03 ए.एम. पर थाना कोतवाली सीकर से मय सरकारी वाहन मय लैपटॉप/प्रिन्टर, अनुसंधान बॉक्स व प्राईवेट वाहन से बदमाशान व संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग हेतु थाना से रवाना होकर चैकिंग व गश्त इलाका करते हुए समय 11.30 ए.एम. पर फतेहपुर रोड़ नॉर्थ चौकी से आगे पावर हाउस के सामने पहुंचा था। वहाँ पर सामने से एक गली से एक व्यक्ति गले में काली बैग डाले हुए मैन रोड़ की तरफ आ रहा था, जो पुलिस जाप्ते को देखकर वापस जाने लगा तो संदिग्ध प्रतीत होने पर उनके द्वारा रोक कर उक्त शख्स को नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामू सिंह उर्फ रामू बताया था।

14. गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार सीजर अधिकारी ने आगे कथन किया है कि उक्त शख्स को पुलिस को देखकर भागने के बारे में पूछा तो कोई स्पष्ट व संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उक्त व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने व गले में डाले बैग में संदिग्ध वस्तु मादक पदार्थ होने का अंदेशा होने की शंका होने पर तलाशी की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मौतबिर की तलाशी हेतु उसके द्वारा हिदायत अली ए.एस.आई. को नोटिस दिया गया था। हिदायत अली द्वारा आसपास में कार्यवाही हेतु मौतबिर बनने के लिए तलाश करने पर कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र मौतबिर बनने को राजी नहीं होने की तहरीर पेश की गई थी। उसने उक्त कार्यवाही में हिदायत अली व दुर्गाराम हैड कांस्टेबल को स्वतंत्र मौतबिर बनने के लिये तहरीर दी थी जिस पर उक्त दोनों ने कार्यवाही में मौतबिर बनने की सहमति दी थी। शख्स रामू को उसके द्वारा धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का नोटिस दिया जाकर तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाने बाबत् पूछा तो शख्स द्वारा अपनी तलाशी उसके द्वारा ही लिये जाने की सहमति दी गयी थी। तत्पश्चात उसने अपनी तलाशी जाप्ते के सामने दी

तो उनके पास कोई संदिग्ध मादक पदार्थ नहीं मिला था।

15. गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार सीजर अधिकारी ने आगे कथन किया है कि शख्स रामूराम के गले में मिले काले बैग की तलाशी ली गयी तो उस बैग के चार चैनदार जेब (खण) बने हुए थे। खोलकर चैक किया गया तो प्रथम खण में एक प्लास्टिक की थैली में सफेद पाउडर मिला था, जिसको खोलकर उसके व जाप्ता द्वारा सूंघकर चैक किया गया तो अनुभव के आधार पर स्मैक होना पाया गया था। दूसरे खण को चैक किया तो खण में नापने तौलने का इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला था। तीसरे खण में ₹ 50, 100, 200, 500 के कुल ₹ 42,750 नकद मिले थे। चौथे खण में प्लास्टिक की छोटी थैलियां एवं शख्स रामूराम का आधार कार्ड मिला था। रामूराम ने उक्त स्मैक रखने के संबंध में कोई लाइसेंस व अनुज्ञा पत्र नहीं होना बतायाथा। उक्त थैली में सफेद पाउडर स्मैक का इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तोल किया गया तो कुल 9 ग्राम 60 मिलीग्राम वजन हुआ था। शख्स रामूराम से उक्त मादक पदार्थ लाने, ले जाने के बारे में पूछताछ की तो उक्त स्मैक मादक पदार्थ शाहरूख पुत्र युनुस से लेकर आना एवं प्लास्टिक की थैली में इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलकर नशेड़ियों को बेचना बताया तथा नकद रूपये स्मैक बिक्री के होना बताया था। शख्स रामूराम के पास मिले मादक पदार्थ, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नकद रूपये, प्लास्टिक की थैलियों को बतौर वजह सबूत जब्त किया जाकर कब्जा पुलिस लिया गया था।

16. गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार सीजर अधिकारी ने आगे कथन किया है कि जब्तशुदा स्मैक में से 2 ग्राम स्मैक पाउडर बतौर एफ.एस.एल. सैम्पल निकाला जाकर एक प्लास्टिक की थैली में डालकर प्लास्टिक की थैली में कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर मार्का ए अंकित किया गया एवं 2 ग्राम स्मैक पाउडर बतौर कन्ट्रोल सैम्पल निकाला जाकर एक प्लास्टिक की थैली में डालकर प्लास्टिक की थैली में कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी अंकित किया गया। शेष बचे स्मैक 5 ग्राम 60 मिलीग्राम को उसी प्लास्टिक की थैली में रखकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर डालकर पैकेट पर मार्का सी अंकित किया गया तथा शख्स के पास मिले इलेक्ट्रॉनिक कांटे को सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर मार्का डी अंकित किया गया। शख्स रामूराम के पास मिले स्मैक बिक्री के नकद ₹ 42,750, आधार कार्ड, छोटी प्लास्टिक की थैलियों को उसी बैग में डालकर सफेद कपड़े की थैली में सील्ड मोहर कर मार्का ई अंकित किया गया था। फर्द जब्ती की समस्त

कार्यवाही मौके पर कर हिदायत अली, दुर्गाराम व अभियुक्त के साईन करवाये थे। फर्द चैकिंग व जब्ती पर उसके व दुर्गाराम हैड कांस्टेबल के हस्ताक्षर करवाये थे। कार्यवाही में प्रयुक्त सील को बाद कार्यवाही मौके पर ही नष्ट कर दिया था। आरोपी रामूराम को जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया था। संपूर्ण कार्यवाही मौके पर की जाकर जब्तशुदा सामान, गिरफ्तार आरोपी को लेकर थाने पर आये थे। जब्तशुदा माल को एच.एम. मालखाना श्री संत कुमार को सुपुर्द किया गया था व आरोपी को बंद हवालात कर अभियोग दर्ज किया गया था।

17. गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार सीजर अधिकारी ने आगे कथन किया है कि तलबी नोटिस प्रदर्श पी. 1, तलबी नोटिस रिपोर्टशुदा प्रदर्श पी. 2, स्वतंत्र गवाह बनने हेतु लिखित में दी गयी सहमति प्रदर्श पी. 3, मुलजिम को धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का दिया गया नोटिस प्रदर्श पी. 4, फर्द चैकिंग व जब्ती प्रदर्श पी. 5, फर्द नमूना सील प्रदर्श पी. 6, फर्द नष्टी नमूना सील प्रदर्श पी. 7, नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी. 8, रोजनामचा रपट रवानगी व वापसी क्रमशः प्रदर्श पी. 9 व 10, फर्द गिरफ्तारी मुलजिम रामूराम प्रदर्श पी. 11, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी. 13 ए, धारा 57 की ईत्तला प्रदर्श पी. 16, मालखाना में माल जमा करवाने की फर्द धारा 55 प्रदर्श पी. 44, कायमी पर्चा प्रदर्श पी. 45 चाक एफ.आई.आर. प्रदर्श पी. 46 है। गवाह ने आगे कथन किया है कि माल को एफ.एस.एल. में जमा करवाने हेतु एस.पी. से अग्रेषण पत्र बनवाया गया था जिसकी प्रति शामिल पत्रावली है। इन्वेन्ट्री रिपोर्ट प्रदर्श पी. 25, इन्वेन्ट्री के दौरान लिये गये फोटोग्राफ प्रदर्श पी. 27 ता 39, इन्वेन्ट्री के दौरान काम में ली गयी सील की फर्द नमूना सील प्रदर्श पी. 47, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी. 48 ता 51 है। गवाह ने साक्ष्य के दौरान मालखाना से प्राप्त पांच सील्ड पैकेटस को प्रदर्श आर्टिकल 1 लगायत 5 के रूप में प्रदर्शित करवाया है।

18. प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि कार्यवाही स्थल आबादी क्षेत्र में अवस्थित है। कार्यवाही स्थल से 200 मीटर दूर फतेहपुर रोड मैन हाईवे है। वहां काफी दुकानात तथा काफी गाड़ियों का आवागमन है। हिदायत अली ने गवाह बनने के लिए किस–किस व्यक्ति से बात की, इसके संबंध में उसने कोई सूचना एकत्रित नहीं की थी। मौका पर सभी फर्दात उसके निर्देशन में उसके अधीनस्थ ने टाईप की थी लेकिन उसका वह नाम नहीं बता सकता है। मौका पर बिजली का कनेक्शन लेकर लैपटॉप/प्रिन्टर चलाये थे। नमूना सील प्रदर्श पी. 6 उसने फर्द जब्ती प्रदर्श पी. 5 के

बाद तैयार की थी। एफ.एस.एल. हेतु जो सैम्पल लिया था, वह किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष नहीं लिया गया था। मौका पर कार्यवाही में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कांटे की कैलिब्रेशन रिपोर्ट पत्रावली के संलग्न नहीं है।

19. प्रतिपरीक्षण में गवाह ने आगे कथन किया है कि कार्यवाही स्थल से दो तीन किलोमीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट ऑफिस व एस.डी.एम. ऑफिस है। कार्यवाही के दौरान किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी से सम्पर्क नहीं किया था। आर्टिकल 1 लगायत 5 पर किसी रीसील का अंकन नहीं है। धारा 57 एन.डी.पी.एस. की सूचना एस.पी. सीकर को नहीं दी थी, सी.ओ. सीकर को दी थी। धारा 42 (2) एन.डी.पी.एस. एक्ट की सूचना उसने पृथक से तैयार नहीं की थी। जब्तशुदा माल उसने किसी निकटतम थानाधिकारी को जमा नहीं करवाया था। प्रदर्श पी. 44 के अनुसार मालखाना इंचार्ज को जब्त माल जमा करवाया था जो रीसील नहीं किया गया था। उसने प्लास्टिक की थैली व माल का अलग–अलग वजन नहीं किया था।

20. पुलिस जाप्ता में शामिल सदस्यों को अभियोजन पक्ष की ओर से पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली, पी.डब्ल्यू 2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू 4 लक्ष्मणराम, पी.डब्ल्यू 7 दुर्गाराम व पी.डब्ल्यू 8 दलीप कुमार के रूप में परीक्षित कराया गया है। उपरोक्त सभी गवाहान ने अपने मुख्य परीक्षण में गवाह पी.डब्ल्यू 1 पवन कुमार सीजर अधिकारी के कथनों की ताईद करते हुए कथन किया है कि वह दिनांक 26.03.2023 को सीजर अधिकारी पवन कुमार के साथ बदमाश व संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग हेतु थाना से रवाना होकर फतेहपुर रोड नार्थ चौकी से आगे पावर हाउस के सामने पहुँचे तो सामने से एक गली में से एक व्यक्ति गले में काली बैग डाले हुए मुख्य सडक की तरफ आता हुआ दिखाई दिया था। उक्त व्यक्ति पुलिस जाप्ता को देखकर वापस जाने लगा तो संदिग्ध होने पर जाप्ता द्वारा रोककर उसका नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामू सिंह उर्फ रामू पुत्र धन सिंह होना बतलाया था। उक्त व्यक्ति रामू सिंह को पुलिस को देखकर भागने के बारे में पूछा गया तो उसने कोई स्पष्ट व संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। उक्त व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने व गले में डाले बैग में मादक पदार्थ संदिग्ध वस्तु होने का अन्देशा होने के कारण तलाशी की कार्यवाही हेतु हिदायत अली को स्वतंत्र मौतबीरान की तलाशी के लिए नोटिस दिया गया था। हिदायत अली ने तहरीर पर यह रिपोर्ट की थी कि कार्यवाही हेतु कोई स्वतंत्र मौतबीर तैयार नहीं हुआ है। तब थानाधिकारी ने हिदायत अली व दुर्गाराम हैड कांस्टेबल को स्वतंत्र मौतबीर

बनने के लिए तहरीर देकर उनकी सहमति प्राप्त की थी। रामू को थानाधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 50 का नोटिस दिया जाकर तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाने बाबत् पूछा गया तो शख्स ने अपनी तलाशी थानाधिकारी द्वारा ही लिए जाने की सहमति दी थी। थानाधिकारी द्वारा दी गई तलाशी में थानाधिकारी के पास कोई संदिग्ध मादक पदार्थ नहीं मिला था। शख्स रामूराम के गले में मिले काले बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें मादक पदार्थ स्मैक पाउडर 9.60 ग्राम, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, ₹ 42,750, रामूराम का आधार कार्ड व प्लास्टिक की छोटी थैलियां बरामद हुई थी। बरामदशुदा मादक पदार्थ स्मैक पाउडर में से 2–2 ग्राम नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लिया जाकर मौका पर आवश्यक कार्यवाही के पश्चात् जब्तशुदा मादक पदार्थ को मालखाना में जमा करवाया गया एवं अभियुक्त को हवालात में बंद करवाया गया था।

21. पुलिस जाप्ता के उपरोक्त सदस्यों से किए गए प्रतिपरीक्षण में गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली, पी.डब्ल्यू 2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू 4 लक्ष्मणराम, पी.डब्ल्यू 7 दुर्गाराम व पी.डब्ल्यू 8 दलीप कुमार ने मुख्य रूप से कथन किया है कि तलाशी का स्थान घनी आबादी क्षेत्र होकर हाईवे से 100–200 मीटर के दायरे में है। आरोपी रामूराम कम पढ़ा लिखा है। जब्ती की कार्यवाही की फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी नहीं की थी। फर्द नष्ट नमूना सील प्रदर्श पी. 7 पर कोई नमूना सील अंकित नहीं है। मौका पर जो नमूना लिया गया था, वह किसी न्यायिक अधिकारी के समक्ष नहीं लिया गया था। मौका की कार्यवाही में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक कांटा की कोई कैलिब्रेशन रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न नहीं है। कार्यवाही स्थल से 500 मीटर के दायरे में सरकारी स्कूल व पावर हाउस है। कार्यवाही स्थल से कलेक्ट्रेट, एस.डी.एम. ऑफिस व न्यायालय करीब दो तीन किलोमीटर दूर है। कार्यवाही के दौरान जाप्ता द्वारा किसी भी राजपत्रित अधिकारी व न्यायिक अधिकारी से सम्पर्क नहीं किया गया था। कंट्रोल सैम्पल व एफ.एस.एल. सैम्पल किसी राजपत्रित अधिकारी व स्वतंत्र गवाह के समक्ष नहीं लिए गए थे। जब्तशुदा माल उन्होंने सीधे ही मालखाना में जमा करवाया था, किसी निकटतम थानाधिकारी या उच्च अधिकारियों को सुपुर्द नहीं किया था।

22. गवाह पी.डब्ल्यू 3 सन्त कुमार मालखाना प्रभारी ने कथन किया है कि वह दिनांक 26.03.2023 को पुलिस थाना कोतवाली सीकर में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस रोज प्रकरण संख्या 184/2023 में जब्ती अधिकारी

पवन कुमार ने प्रकरण में जब्त माल को उसको जमा करवाया था। माल का अंकन उसने मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 13. की मद संख्या 585 पर किया था। दिनांक 02.06.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2, सीकर द्वारा इन्वेन्ट्री की गयी थी। मालखाना रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श पी. 13 ए है। गवाह ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि जब्ती अधिकारी ने माल सीधा उसे ही सुपुर्द किया था। उसने जमा माल को रीसील नहीं किया था। इन्वेंट्री की कार्यवाही माल जब्त करने के करीब दो माह बाद की गई थी। उसने मालखाना रजिस्टर में इन्द्राजात फर्द जब्ती के आधार पर किए थे। स्वयं ने माल का वजन नहीं किया था। माल उसके सामने जब्त नहीं हुआ था और माल को उसके सामने सील्ड नहीं किया गया था।

23. गवाह पी.डब्ल्यू 5 मुकेश कुमार ने कथन किया है कि वह दिनांक 27.03.2023 को एस.पी. कार्यालय की एफ.एस.एल. शाखा में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज पुलिस थाना कोतवाली सीकर से कांस्टेबल वैदप्रकाश मुकदमा नंबर 184/2023 में जब्तशुदा पैकेट सील्ड मार्का ए व थानाधिकारी का पत्र लेकर अग्रेषण पत्र बनवाने के लिए आया था। उसी दिन उसने एस.पी. के आदेश से विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करके एस.पी. के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मार्का पैकेट के साथ देकर उसका अंकन डिस्पेच रजिस्टर प्रदर्श पी. 14 पर किया था। डिस्टेच रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी. 14 ए है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि अग्रेषण पत्र की मूल प्रति पत्रावली के संलग्न नहीं है। थानाधिकारी ने अग्रेषण पत्र बनवाने के लिए जो पत्र दिया था, वह आज साथ लेकर नहीं आया है। प्रदर्श पी. 14 पर उसके साईन नहीं है।

24. गवाह पी.डब्ल्यू 6 रामलाल ने कथन किया है कि वह दिनांक 27.03.2023 को उपअधीक्षक सीकर के कार्यालय में पदस्थापित था। उस रोज पुलिस थाना कोतवाली से मुकदमा नंबर 184/2023 में धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट की मूल सूचना लेकर आया था, जिसे उप अधीक्षक द्वारा रिसिव्ड कर हस्ताक्षर करवाये थे। उसने रिसिव्ड रजिस्टर के क्रम संख्या 3848 पर इन्द्राज किया था। रिसिव्ड रजिस्टर प्रदर्श पी. 15 व उसकी फोटोप्रति प्रदर्श पी. 15 ए है। धारा 57 की ईत्तिला प्रदर्श पी. 16 है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि जो डाक लेकर आया था, उसके उसने रिसिव्ड रजिस्टर प्रदर्श पी. 15 पर हस्ताक्षर नहीं करवाए थे। प्रदर्श पी. 16 धारा 57 की इत्तिला उप अधीक्षक को कितने बजे मिली थी, इस बात

का कोई अंकन नहीं है। प्रदर्श पी. 15 व प्रदर्श पी. 16 में शाहरूख के संबंध में कोई इत्तिला नहीं है।

25. गवाह पी.डब्ल्यू 9 वेदप्रकाश ने कथन किया है कि वह दिनांक 27.03.2023 को पुलिस थाना कोतवाली सीकर में कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस रोज एस.पी. ऑफिस में सील्ड माल लेकर अग्रेषण पत्र बनवाने गया था। अग्रेषण पत्र बनवा कर माल व अग्रेषण पत्र मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दिया था। दिनांक 28.03.2023 को अग्रेषण पत्र मय सील्ड एक पैकेट मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एफ.एस.एल., जयपुर में जमा करवा कर आया था व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 17 वापस आकर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दी थी। अग्रेषण पत्र बनवाने व माल को एफ.एस.एल. ले जाने बाबत मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी. 13 पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में गवाह ने कथन किया है कि माल को उसी रोज एफ.एस.एल. में जमा करवा दिया था। माल के साथ नमूना सील या फर्द नमूना सील लेकर नहीं गया था।

26. गवाह पी.डब्ल्यू 10 अशोक अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया है कि वह दिनांक 26.03.2023 को पुलिस थाना सदर सीकर में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस रोज उसे प्रकरण संख्या 184/2023 पुलिस थाना कोतवाली सीकर की पत्रावली वास्ते अनुसंधान प्राप्त हुई थी। दौराने अनुसंधान उसने परिवादी पवन कुमार चौबे की निशांदेही से जब्तीस्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी. 8 मूर्तिब किया था। गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 27.03.2023 को जैर हिरासत मुलजिम रामूराम ने इत्तिला प्रदर्श पी. 18 इस आशय की दी थी कि उसे व उसके दोस्त मोहम्मद शाहरूख दोनों को उनके मोहल्ले में फैरी वाला शख्स मादक पदार्थ बेचकर जाता है, उसे वह शक्ल से जानता है तथा चलकर बता सकता है। दिनांक 28.03.2023 को मुलजिम रामू ने उसे स्वेच्छा से इत्तिला प्रदर्श पी. 19 इस आशय की दी थी कि वह कभी कभार स्मैक जयपुर से लेकर आता था, उस स्थान व व्यक्ति को साथ चलकर बता सकता है। मुलजिम शाहरूख को उसने जरिये फर्द प्रदर्श पी. 12 गिरफ्तार किया था। दिनांक 27.03.2023 को जैर हिरासत मुलजिम शाहरूख ने इत्तिला प्रदर्श पी. 20 इस आशय की दी थी कि उसे व उसके दोस्त रामू दोनों को उनके मोहल्ले में फैरी वाला शख्स मादक पदार्थ बेचकर जाता है। तत्पश्चात मुलजिम ने इत्तिला प्रदर्श पी. 21 इस आशय की दी थी कि उसने रामू को

जो स्मैक दिया था, वह जयपुर से लेकर आया था। एफ.एस.एल. रसीद प्रदर्श पी. 17, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी. 22, रोजनामचा रपट प्रदर्श पी. 23 व 24 है। अग्रेषण पत्र की प्रति प्राप्त कर शामिल पत्रावली की थी।

27. गवाह पी.डब्ल्यू 10 अशोक अन्वेषण अधिकारी ने आगे कथन किया है कि दिनांक 02.06.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 2, सीकर के समक्ष इन्वेन्ट्री की कार्यवाही करवायी गयी थी, जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी. 25 है। इन्वेन्ट्री प्रमाण पत्र प्रदर्श पी. 26, इन्वेन्ट्री के दौरान खींचे गये फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी. 27 ता 39, प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 40, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इन्वेन्ट्री की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने के लिये दी गयी तहरीर प्रदर्श पी. 41, न्यायालय की आदेशिका प्रदर्श पी. 42, इन्वेन्ट्री रिपोर्ट भेजने बाबत् कवरिंग लेटर प्रदर्श पी. 43, धारा 57 की इत्तिला प्रदर्श पी. 16, रिसिव्ड रजिस्टर की फोटो प्रति प्रदर्श पी. 14 ए है। बाद अनुसंधान उसने मुलजिम रामू के विरूद्ध धारा 8/21 एन.डी.पी.एस. एक्ट व मुलजिम शाहरूख के विरूद्ध धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध प्रमाणित मानकर पत्रावली वास्ते चालान आदेश प्राप्ति हेतु एस.पी. ऑफिस प्रेषित कर दी थी।

28. गवाह पी.डब्ल्यू 10 अशोक अन्वेषण अधिकारी ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि नक्शा मौका प्रदर्श पी. 8 पर किसी स्वतंत्र गवाह के साईन नहीं है। प्रदर्श पी. 8 वाला स्थान आबादी क्षेत्र में अवस्थित है। प्रदर्श पी. 8 बनाते समय स्वतंत्र गवाह बुलाने का प्रयास किया था, लेकिन कोई मिला नहीं था। इत्तिला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी. 18 लगायत 21 की तस्दीक नहीं हो पाई थी। तथाकथित जब्तशुदा माल का सैम्पल उसने किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एफ.एस.एल. नहीं भेजा था। उसने धारा 57 की इत्तिला किसी उच्च अधिकारी को नहीं भेजी थी। जब्ती के करीब दो महिने बाद इन्वेंट्री की कार्यवाही की गई थी। उसने जब्त माल को रीसील नहीं किया था। फोटोग्राफ प्रदर्श पी. 27 लगायत 39 के संबंध में धारा 65 बी का प्रमाण पत्र उसने शामिल पत्रावली नहीं किया था। धारा 42 (2) के संबंध में उसने कोई दस्तावेज शामिल पत्रावली नहीं किया था। धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट के संबंध में कोई वीडियो या फोटोग्राफ पत्रावली पर संलग्न नहीं है।

29. गवाह ने प्रतिपरीक्षण में आगे कथन किया है कि इस प्रकरण में अभियुक्त शाहरूख को रामू की इत्तिला के आधार पर आरोपी माना था। अभियुक्त शाहरूख की गिरफ्तारी के समय उसका मोबाईल फोन जामा तलाशी में मिला था।

शाहरूख व रामू के बीच मोबाईल पर आपस में बातचीत होती हो या मैसेज होते हों, इस संबंध में सीडीआर पत्रावली के संलग्न नहीं है। प्रदर्श पी. 20 व प्रदर्श पी. 21 धारा 27 की इत्तिला किसी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति में नहीं ली गई थी। धारा 27 की इत्तिला अभियुक्त द्वारा दिए जाने के संबंध में किसी स्वतंत्र साक्षी को तलब किए जाने हेतु उसके द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। धारा 27 की इत्तिला के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त शाहरूख से कोई संदिग्ध वस्तु उसकी जामा तलाशी में व उसके मकान से अनुसंधान के दौरान नहीं मिली थी। शाहरूख जयपुर में किसी मादक पदार्थ विक्रेता के सम्पर्क में हो, ऐसा तथ्य चार्जशीट पर अंकित नहीं है और ना ही अनुसंधान के दौरान आया है। रामू व शाहरूख के बीच आपस में सम्पर्क हो, इस बाबत् कोई स्वतंत्र साक्षी उसे अनुसंधान के दौरान नहीं मिला था। रामू व शाहरूख को किसी ने साथ काम करते देखा हो, ऐसा कोई व्यक्ति उसे अनुसंधान के दौरान नहीं मिला था।

30. प्रकरण में अभिलेख पर आई उपरोक्त साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत किए गए तर्कों के आधार पर प्रकरण में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:–

अधिनियम की धारा 42 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना बाबत् साक्ष्य:–

31. इस सम्बन्ध में अधिनियम 1985 की धारा 42 (1) के प्रावधानों का उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा, जो निम्न प्रकार हैं:–

> **अधिनियम की धारा 42 में यह प्रावधान है कि "वारण्ट या प्राधिकार के बिना प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण और गिरफ्तार करने की शक्ति–**
> (1) केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क, स्वापक, सीमा–शुल्क, राजस्व आसूचना विभागों या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग का, जिसके अन्तर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी हैं, कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस निमित्त सशक्त किया जाता है, अथवा किसी राज्य सरकार राजस्व, औषधि नियंत्रण, उत्पाद शुल्क, पुलिस या किसी अन्य विभाग का कोई ऐसा अधिकारी (जो किसी चपरासी, सिपाही या कांस्टेबल की पंक्ति से वरिष्ठ अधिकारी है), जिसे राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त किया जाता है, यदि उसके पास व्यक्तिगत जानकारी या किसी व्यक्ति द्वारा दी गई और लिखी गई इत्तिला से यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी कोई

स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ या नियंत्रित पदार्थ, जिसकी बाबत् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया है. या कोई ऐसा दस्तावेज या अन्य वस्तु, जो ऐसे अपराध के किए जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति या कोई ऐसा दस्तावेज या अन्य वस्तु जो अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी संपत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है, जो इस अधिनियम के अध्याय 5– क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी है, किसी भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में रखी या छिपाई गई है, सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच, –

(क) किसी ऐसे भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा

(ख) प्रतिरोध की दशा में, किसी द्वार को तोड़ सकेगा और ऐसे प्रवेश करने में किसी अन्य बाधा को हटा सकेगा

(ग) ऐसी औषधि या पदार्थ और उसके विनिर्माण में प्रयुक्त सभी सामग्री तथा किसी अन्य वस्तु और किसी जीव–जन्तु या प्रवहण को, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है और किसी ऐसे दस्तावेज या अन्य वस्तु को, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के किये जाने का साक्ष्य हो सकती है या अवैध रूप से अर्जित कोई ऐसी सम्पत्ति धारण करने का साक्ष्य हो सकती है जो इस अधिनियम के अध्याय 5–क के अधीन अभिग्रहण या स्थिरीकरण या समपहरण के लिए दायी हैं, अभिगृहीत कर सकेगा; और

(घ) किसी ऐसे व्यक्ति को. जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, निरुद्ध कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा यदि वह उचित समझे तो, उसे गिरफ्तार कर सकेगा:

कि यदि ऐसे अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि तलाशी वारंट या प्राधिकार, साक्ष्य छिपाने के लिए अवसर दिए बिना या किसी अपराधी को निकल भागने के लिए सुविधा दिए बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो वह सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच किसी भी समय ऐसे भवन, प्रवहण या परिवेष्टित स्थान में, अपने विश्वास के आधारों को लेखबद्ध करने के पश्चात् प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(2) जहां कोई अधिकारी, किसी इत्तिला को उपधारा (1) के अधीन लिखता है या अपने विश्वास के आधारों को उसके परन्तुक के अधीन लेखबद्ध करता है, वहां वह उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित पदीय वरिष्ठ को 72 घण्टे के भीतर भेजेगा।

32. इस प्रकार अधिनियम की धारा 42 की पालना बाबत् अभियोजन पक्ष के लिए यह साबित करना आवश्यक होता है कि जैसे ही मुखबिर की इत्तिला चौकी प्रभारी को प्राप्त होती है, वैसे ही उसे लेखबद्ध करते हुए इसकी प्रति उच्चाधिकारियों को प्रेषित करनी होती हैं। इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी ने कथन किया है कि वह पुलिस जाप्ता के साथ दिनांक 26.03.2023 को बदमाश व संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग हेतु पुलिस थाना कोतवाली सीकर से रवाना होकर फतेहपुर रोड पर नोर्थ चौकी से आगे पावर हाउस के सामने पहुँचा तो सामने से एक गली से एक व्यक्ति गले में काली बैग डाले हुए मुख्य रोड की तरफ आ रहा था। उक्त व्यक्ति पुलिस जाप्ता को देखकर वापस जाने लगा तो उसे रोककर उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम रामू सिंह उर्फ रामू पुत्र धन सिंह होना बताया था। उस व्यक्ति से पुलिस को देखकर भागने के बारे में पूछने पर उसने कोई स्पष्ट व संतोषप्रद जवाब नहीं दिया था तथा वह व्यक्ति संदिग्ध प्रतीत होने व उसके गले में अवस्थित बैग में मादक पदार्थ होने का अन्देशा होने की शंका होने पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र मौतबीरान की तलबी के लिए जाप्ता के सदस्य हिदायत अली ए.एस.आई. को नोटिस दिया गया था। हिदायत अली ने वापस आकर बतलाया था कि कार्यवाही के लिए कोई स्वतंत्र मौतबीर तैयार नहीं हुआ है, इसलिए पुलिस जाप्ता में मौजूद हिदायत अली ए.एस.आई. व दुर्गाराम हैड कांस्टेबल को स्वतंत्र मौतबीर कायम कर अभियुक्त रामू को अधिनियम की धारा 50 का नोटिस दिया जाकर अभियुक्त द्वारा सीजर अधिकारी से तलाशी लिवाने की सहमति देने पर अभियुक्त रामू के बैग की तलाशी ली गई थी एवं अभियुक्त रामू के पास बैग में मादक पदार्थ स्मैक 9.60 ग्राम बरामद हुई थी। पुलिस जाप्ता के सदस्यगण गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली, पी.डब्ल्यू 2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू 4 लक्ष्मणराम, पी.डब्ल्यू 7 दुर्गाराम व पी.डब्ल्यू 8 दलीप कुमार ने भी अपने सशपथ बयानों में कथन किया है कि चैकिंग के दौरान अभियुक्त रामू के पास मिले बैग की तलाशी लिए जाने पर बैग में 9.60 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक पाउडर बरामद हुआ था।

33. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में सीजर अधिकारी व जब्ती दल के सभी साक्षीगण की साक्ष्य व दस्तावेजात से यह प्रकट होता है कि मौका पर की जा रही चैकिंग के दौरान अभियुक्त रामू गली से निकलकर मुख्य सडक पर आया तो वह सामने पुलिस जाप्ता को देखकर वापस जाने लगा। पुलिस जाप्ता को उसके संदिग्ध होने का आभास होने पर पुलिस जाप्ता द्वारा उसको रोका जाकर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम रामू सिंह उर्फ रामू होना बतलाया तथा उसको पुलिस को देखकर भागने के बारे में पूछने पर उसने कोई स्पष्ट व संतोषप्रद जवाब नहीं दिया था। अभियुक्त रामू सिंह उर्फ रामू के संदिग्ध प्रतीत होने व उसके पास मौजूद बैग में संदिग्ध वस्तु अथवा मादक पदार्थ होने का अन्देशा होने पर उसके पास अवस्थित बैग की तलाशी लिए जाने पर बैग में से मादक पदार्थ स्मैक पाउडर 9.60 ग्राम बरामद हुआ था।

34. अभियोजन पक्ष की ओर से रोजनामचा रपट रवानगी व वापसी को क्रमशः प्रदर्श पी. 9 व प्रदर्श पी. 10 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त रोजनामचा रपट प्रदर्श पी. 9 के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि दिनांक 26.03.2023 को समय 11.03 ए.एम. पर सीजर अधिकारी पवन कुमार चौबे पुलिस जाप्ता के साथ संदिग्ध वाहन व बदमाशान की चैकिंग के लिए पुलिस थाना कोतवाली से रवाना हुआ था तथा रोजनामचा रपट प्रदर्श पी. 10 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि दिनांक 26.03.2023 को सीजर अधिकारी पवन कुमार चौबे मय जाप्ता अभियुक्त रामू से बरामदशुदा मादक पदार्थ स्मैक पाउडर की कार्यवाही कर थाना पर वापस आया था। इस प्रकार सीजर अधिकारी व पुलिस जाप्ता द्वारा संदिग्ध वाहन व बदमाशान की चैकिंग के लिए पुलिस थाना से रवाना होने का तथ्य प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के सीजर अधिकारी के पास अभियुक्त रामू द्वारा मादक पदार्थ लेकर जाने की कोई सूचना नहीं थी अपितु पुलिस जाप्ता द्वारा की जा रही चैकिंग के दौरान अभियुक्त रामू से अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर की बरामदगी हुई है। इसलिए हस्तगत प्रकरण पूर्णतया चांस रिकवरी का होने से प्रकरण में धारा 42 अधिनियम के प्रावधान आकर्षित नहीं होते है।

अधिनियम की धारा 50 के बारे में साक्ष्य का विवेचन:–

35. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का तर्क रहा हैं कि सीजर अधिकारी द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया और न ही मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी ली गयी है, इसलिए तलाशी अधिकारी ने अधिनियम,

1985 की धारा 50 के आज्ञापक प्रावधानों का पालन नहीं किया हैं।

36. हस्तगत प्रकरण में अवैध मादक पदार्थ स्मैक पाउडर अभियुक्त रामू द्वारा ले जाए जा रहे बैग से बरामद किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 50 की साक्ष्य के विवेचन के पूर्व अधिनियम की धारा 49 के प्रावधानों का अवलोकन किया जाना उचित रहेगा जो धारा 49 निम्न प्रकार है–

धारा 49. प्रवहण को रोकने और उसकी तलाशी लेने की शक्तिः– धारा 42 के अधीन प्राधिकृत कोई अधिकारी, यदि उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी जीवजन्तु या प्रवहण का उपयोग किसी ऐसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ (अथवा नियंत्रण पदार्थों) के परिवहन के लिए किया गया है या किया जाने वाला है जिसके बारे में उसे यह संदेह है कि इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लघंन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है तो वह किसी भी समय ऐसे जीवजन्तु या प्रवहण को रोक सकेगा अथवा वायुयान की दशा में, उसे भूमि पर उतरने के लिए विवश कर सकेगा और –

(क) प्रवहण की या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा और तलाशी ले सकेगा;

(ख) ऐसे जीव–जन्तु पर के या ऐसे प्रवहण में के किसी माल की परीक्षा कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

ग. यदि ऐसे जीवजंतु या प्रवहण को रोकना आवश्यक हो जाता है तो उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का उपयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन असफल रहते है, वहां ऐसे जीवजंतु या प्रवहण पर गोली चलाई या सकेगी।

37. अधिनियम 1985 की धारा 50 निम्न प्रकार है–

धारा 50. वे शर्तें जिनके अधीन व्यक्तियों की तलाशी ली जाएगी–

(1) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी, धारा 41, धारा 42 या धारा 43 के उपबन्धों के अधीन किसी व्यक्ति की तलाशी लेने वाला है तब वह, ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसा व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करे तो, बिना आवश्यक विलम्ब के धारा 42 में उल्लिखित किसी विभाग के निकटतम राजपत्रित अधिकारी या निकटतम मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा।

(2) यदि ऐसी अपेक्षा की जाती है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति को तब तक निरुद्ध रख सकेगा, जब तक वह उसे उपधारा (1) में

निर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष नहीं ले जा सकता।

(3) यदि ऐसा राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट, जिसके समक्ष कोई ऐसा व्यक्ति लाया जाता है, तलाशी के लिए कोई उचित आधार नहीं पाता है तो वह ऐसे व्यक्ति को तत्काल उन्मोचित कर देगा, किन्तु अन्यथा यह निदेश देगा कि तलाशी ली जाए।

(4) किसी स्त्री की तलाशी, स्त्री से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं ली जाएगी।

(5) जब धारा 42 के अधीन सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति को जिसकी तलाशी ली जानी है, उसके कब्जे में किसी स्वापक औषधि या मनःप्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ या वस्तु या दस्तावेज को उस व्यक्ति से जिसकी तलाशी ली जानी है, अलग किए बिना निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाना संभव नहीं है, तो वह ऐसे व्यक्ति को निकटतम राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाने की बजाय उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा जैसा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 में उपबंधित है।

(6) उपधारा (5) के अधीन तलाशी लिए जाने के पश्चात् उक्त अधिकारी ऐसे विश्वास के कारणों को लेखबद्ध करेगा, जिसकी वजह से ऐसी तलाशी की आवश्यकता पड़ी थी और उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ पदधारी को 72 घण्टे के भीतर भेजेगा।

38. प्रकरण में जहाँ तक अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों की समुचित पालना नहीं होने का प्रश्न है, गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी ने कथन किया है कि अभियुक्त रामू को उसके द्वारा अधिनियम की धारा 50 का नोटिस दिया जाकर तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाने बाबत् पूछा गया तो शख्स द्वारा अपनी तलाशी उसके द्वारा ही लिए जाने की सहमति दी गई थी। तत्पश्चात् सीजर अधिकारी द्वारा अभियुक्त रामू के गले में मिले बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें से मादक पदार्थ स्मैक पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस जाप्ता के सदस्य गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली, पी.डब्ल्यू 2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू 4 लक्ष्मणराम, पी.डब्ल्यू 7 दुर्गाराम व पी.डब्ल्यू 8 दलीप कुमार ने भी गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे के कथनों की ताईद करते हुए अभियुक्त रामू को सीजर अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 50 का नोटिस दिया जाकर तलाशी किसी

राजपत्रित अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट से करवाने बाबत् पूछने पर अभियुक्त द्वारा सीजर अधिकारी पवन कुमार चौबे को तलाशी दिए जाने की सहमति दिए जाने पर अभियुक्त रामू के बैग की तलाशी लेने पर मादक पदार्थ स्मैक पाउडर की बरामदगी होना बतलाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त रामू को अधिनियम की धारा 50 के तहत दिए गए नोटिस को प्रदर्श पी. 4 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है।

39. न्यायिक विनिश्चय दिलबाग सिंह बनाम पंजाब राज्य 2016 क्रिमीनल लॉ रिपोर्टर (एस.सी.) 1213 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान केवल व्यक्तिगत तलाशी पर ही लागू होते हैं। न्यायिक विनिश्चय जरनेलसिंह बनाम पंजाब राज्य 2011 ड्रग्स केसेस (नारकोटिक्स) 157 के मामले में मादक पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त के आधिपत्य के थैले से हुई थी व व्यक्तिगत तलाशी में मादक पदार्थ बरामद नहीं होकर केवल ₹ 25 बरामद हुए थे, इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले में अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान आकर्षित नहीं होने का अभिमत व्यक्त किया गया था। इसी आशय का अभिमत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय पंजाब राज्य बनाम बलजिंदरसिंह व अन्य आपराधिक अपील संख्या 1565–66/2019 (एससी) निर्णय दिनांक 15.10.2019 में पारित किया गया है। इस प्रकार विधिक स्थिति अत्यन्त स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 50 केवल व्यक्ति की तलाशी पर लागू होती है, बैग या वाहन की तलाशी पर लागू नहीं होती है।

40. हस्तगत प्रकरण में मादक पदार्थ की बरामदगी अभियुक्त रामू के गले में लटके हुए बैग से हुई है। गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी ने स्पष्ट कथन किया है कि उसने अभियुक्त की तलाशी लिए जाने से पूर्व स्वयं की तलाशी दी थी। इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मादक पदार्थ केवल बैग से बरामद हुआ है और अभियुक्त रामू के शरीर से कोई बरामदगी नहीं हुई है, इसलिए अधिनियम की धारा 50 की अनुपालना न होने पर भी अभियोजन का मामला प्रभावित नहीं होता है। यद्यपि फिर भी सीजर अधिकारी ने अभियुक्त को अधिनियम की धारा 50 का नोटिस देकर अतिरिक्त सावधानी बरती है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में अधिनियम की धारा 50 की औपचारिक अनुपालना साबित होती है। साथ ही अभियुक्त रामू से बैग से बरामदगी होने के कारण अधिनियम की धारा 50 का प्रश्न हस्तगत प्रकरण में अभियोजन के लिए निर्णायक नहीं है।

41. जहाँ तक अधिनियम की धारा 52 ए के प्रावधानों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का तर्क रहा हैं कि अनुसन्धान अधिकारी द्वारा धारा 52 ए के प्रावधानों की पालना नहीं की गई हैं जिसके अभाव में इसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाकर उन्हें दोषमुक्त किया जावे।

42. अधिनियम 1985 की धारा 52 ए निम्न प्रकार हैं–

धारा 52–क. अभिगृहीत स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन–

(1) केन्द्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तातंरणों के सम्बन्ध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विषमता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक औषधियों का वर्ग, मनःप्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय–समय पर, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा।

(2) जहाँ कोई (स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों अथवा हस्तांतरणों) को अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया हैं, वहाँ उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी (स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों) की एक तालिका तैयार करेगा, जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या (ऐसी स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों) या पैंकिग की, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से सम्बन्धित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी [स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों] को पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात्–

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या
(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में [ऐसी औषधियों, पदार्थों या हस्तांतरणों) के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या
(ग) ऐसे मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में ऐसी औषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए।

(3) जहाँ उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशक्य शीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका [स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या हस्तांतरणों] के फोटोचित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा।

43. उक्त धारा के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से प्रकट होता हैं कि उक्त प्रावधानों में मादक पदार्थ को जब्त किये जाने के पश्चात उसके डिस्पोजल के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का विवेचन किया गया है।

44. हस्तगत प्रकरण में गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी ने कथन किया है कि रामूराम के गले में मिले काला बैग की तलाशी ली गई तो उस बैग के चार जेब/खण बने हुए थे जिनको खोलकर देखा तो प्रथम खण में एक प्लास्टिक की थैली में सफेद पाउडर मिला था जिसको खोलकर उसके व जाप्ता द्वारा सूंघकर चैक किया गया तो अनुभव के आधार पर स्मैक होना पाया गया था। दूसरे खण को खोलकर चैक किया गया तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कांटा मिला था। तीसरे खण में 50, 100, 200, 500 के कुल ₹ 42,750 मिले थे। चौथे खण में प्लास्टिक की छोटी थैलियां व रामूराम का आधार कार्ड मिला था। रामूराम के पास प्लास्टिक की थैली में मिले सफेद पाउडर स्मैक को इलेक्ट्रॉनिक कांटा से तोला गया तो उसका वजन 9 ग्राम 60 मिलीग्राम हुआ था जिसमें से दो–दो ग्राम बतौर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लिया जाकर सैम्पल व शेष बचे स्मैक 5 ग्राम 60 मिलीग्राम को सफेद

कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर किया गया था।

45. पुलिस दल के सदस्यगण गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली, पी.डब्ल्यू 2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू 4 लक्ष्मणराम, पी.डब्लू 7 दुर्गाराम एवं पी.डब्ल्यू 8 दलीप कुमार ने भी अभियुक्त रामू के कब्जे से 9 ग्राम 60 मिलीग्राम स्मैक पाउडर बरामद होना व उसमें से दो–दो ग्राम बतौर नमूना व कंट्रोल सैम्पल लिया जाकर मौका पर ही उन्हें सील मोहर किया जाना बतलाया है। इस प्रकार प्रकरण में सीजर अधिकारी द्वारा मौका पर अभियुक्त से बरामद मादक पदार्थ स्मैक पाउडर में से नियमानुसार सैम्पल लिया जाकर उसे सील मोहर किया गया था।

46. प्रकरण में जहाँ तक अधिनियम की धारा 52 ए की कार्यवाही विलम्ब से किए जाने का प्रश्न है, गवाह पी.डब्ल्यू 10 अशोक अन्वेषण अधिकारी ने कथन किया है कि दिनांक 02.06.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 2, सीकर के समक्ष इन्वेंट्री की कार्यवाही करवाई गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी . 25 है। गवाह पी.डब्ल्यू 3 सन्त कुमार मालखाना प्रभारी ने भी कथन किया है कि दिनांक 02.06.2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम संख्या 2, सीकर द्वारा इन्वेंट्री की कार्यवाही की गई थी। इस प्रकार तथ्यों से प्रकट होता है कि प्रकरण में अभियुक्त रामू से मादक पदार्थ की बरामदगी दिनांक 26.03.2023 को होने के पश्चात् इन्वेंट्री की कार्यवाही दिनांक 02.06.2023 को करवाई गई है।

47. विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का अधिनियम की धारा 52 ए के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि प्रकरण में इन्वेंट्री कार्यवाही दो माह के विलम्ब से की गई है तथा इन्वेंट्री के दौरान लिए गए नमूना को परीक्षण हेतु नहीं भेजा गया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 52 ए की समुचित पालना नहीं की गई है।

48. न्यायिक नजीर जोथी उर्फ नागजोथी बनाम राज्य (2025 आईएनएससी 1417) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम की धारा 52 ए की प्रक्रिया में कुछ प्रक्रियात्मक विचलन या नमूनों का बाद में सीलबंद/पुनः सीलबंद होना तभी घातक होगा जब उससे नमूने की पहचान या अखंडता पर संदेह उत्पन्न हो। यदि सील, नमूना, एफ.एस.एल. रिपोर्ट और अभिरक्षा की श्रृंखला विश्वसनीय रूप से सिद्ध है तो अभियोजन विफल नहीं होगा। इसी प्रकार न्यायिक नजीर कैलाश बनाम महाराष्ट्र राज्य (2025 आईएनएससी 1117) में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि रिकॉर्ड पर यह

साक्ष्य होना चाहिए कि नमूना सीलबंद अवस्था में विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था और विधि विज्ञान प्रयोगशाला ने सील को अक्षुण्ण पाया गया जिससे नमूने से छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो जाती है। न्यायिक नजीर भारत अम्बाले बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2025 आईएनएससी 78 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य व अन्य सामग्री से न्यायालय को आरोपी व्यक्तियों से बरामदगी तथा उनके सचेत कब्जे के संबंध में विश्वास हो जाता है तो ऐसे मामलों में भी न्यायालय अधिनियम की धारा 52 ए के तहत किसी भी प्रक्रियात्मक दोष के बावजूद आरोपी को दोषी ठहराने के लिए बिना किसी संकोच के कार्यवाही कर सकता है।

49. हस्तगत प्रकरण में सीजर अधिकारी द्वारा लिए गए नमूनों की अभिरक्षा की श्रृंखला के सम्बन्ध में देखा जाए तो गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी व पुलिस दल के सदस्यगण गवाहान पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली, पी.डब्ल्यू 2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यु 4 लक्ष्मणराम, पी.डब्ल्यू 7 दुर्गाराम एवं पी.डब्ल्यू 8 दलीप कुमार सभी ने एक स्वर में अभियुक्त रामू के बैग से मादक पदार्थ स्मैक बरामद होना व मौका पर उसमें से दो–दो ग्राम नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लिया जाकर सील मोहर किया जाना प्रकट किया है। अभियुक्त से बरामदशुदा मादक पदार्थ में से सीजर अधिकारी द्वारा नमूना लिए जाने सम्बन्धी उपरोक्त गवाहान की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी प्रकार से खण्डित नहीं हुई है।

50. गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी ने जब्तशुदा सामान को मालखाना प्रभारी संत कुमार के सुपुर्द किये जाने का कथन किया है। गवाह पी.डब्ल्यू 3 संत कुमार मालखाना प्रभारी ने कथन किया है कि दिनांक 26.03.2023 को प्रकरण संख्या 184/2023 में जब्ती अधिकारी पवन कुमार चौबे ने प्रकरण में जब्त माल को उसके पास जमा करवाया था जिसका उसने मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. 13 की मद संख्या 585 पर इन्द्राज कर मालखाना में जमा किया था। मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. 13 के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण के सीजर अधिकारी पवन कुमार चौबे द्वारा जब्तशुदा सामान को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किया गया था तथा मालखाना प्रभारी ने प्रदर्श पी. 13 की मद संख्या 585 पर मार्क ए से बी में वर्णित सामान सील्डशुदा मालखाना में जमा किया था जिस पर सी से डी मालखाना प्रभारी व ई से एफ जब्ती अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस प्रकार सीजर अधिकारी द्वारा

सभी आर्टिकलस को मालखाना में जमा करवाया गया था।

51. प्रकरण में जहाँ तक सीजर अधिकारी द्वारा जब्तशुदा आर्टिकल को मालखाना प्रभारी को सुपुर्द करने से पूर्व अधिनियम की धारा 55 के तहत रीसील नहीं किए जाने का प्रश्न है, गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी ने कथन किया है कि मालखाना में माल जमा करवाने की अधिनियम की धारा 55 की फर्द प्रदर्श पी. 44 पर ए से बी मालखाना इंचार्ज का अंकन, सी से डी मालखाना इंचार्ज व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। अधिनियम की धारा 55 के तहत मुर्तिब की गई फर्द प्रदर्श पी. 44 के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि प्रकरण के सीजर अधिकारी पवन कुमार चौबे द्वारा संत कुमार हैड कांस्टेबल मालखाना प्रभारी को प्रकरण में जब्तशुदा माल को अधिनियम की धारा 55 के तहत जमा करने हेतु सुपुर्द किया था तथा मालखाना प्रभारी संतकुमार ने प्रदर्श पी. 44 के पृष्ठांकन ए से बी के मध्य वर्णित सील्डशुदा पैकेट मार्क ए, बी, सी, डी व ई को सील्डशुदा हालत में मालखाना में जमा किया था। गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार सीजर अधिकारी की साक्ष्य के दौरान पांच पैकेटस सील्ड हालत में प्रस्तुत किए गए थे जिनको गवाह ने प्रदर्श आर्टिकल 1 लगायत 5 के रूप में प्रदर्शित करवाया है। ऐसी स्थिति में गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे सीजर अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में किए गए इस कथन कि आर्टिकल 1 लगायत 5 पर किसी रीसील का अंकन नहीं है तथा गवाह पी.डब्ल्यू 3 संतकुमार द्वारा प्रतिपरीक्षण में किए गए कथन कि उसने जमा माल को रीसील नहीं किया था, इससे प्रकरण में सीजर अधिकारी द्वारा सील्डशुदा पैकेट को मालखाना में जमा करवाए जाने का तथ्य खण्डित नहीं होता है।

52. प्रकरण में जहाँ तक नमूना विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को सील्ड हालत में भिजवाए जाने व विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में नमूना सील्ड अवस्था में प्राप्त होने का प्रश्न है, गवाह पी.डब्ल्यू 3 संत कुमार मालखाना प्रभारी ने कथन किया है कि मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी. 13 की मद संख्या 585 पर मार्क जी से एच माल को अग्रेषण पत्र बनवाने हेतु एस.पी. कार्यालय भेजने, आई से जे अग्रेषण पत्र बनवाने व माल जमा करवाए जाने तथा के से एल वेदप्रकाश कांस्टेबल के हस्ताक्षर है। गवाह पी.डब्ल्यू 9 वेदप्रकाश ने अपनी साक्ष्य के दौरान कथन किया है कि वह दिनांक 27.03.2023 को एस.पी. ऑफिस में सील्ड माल लेकर अग्रेषण पत्र बनवाने गया था तथा अग्रेषण पत्र बनवाकर माल व अग्रेषण पत्र मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द कर दिया

था। गवाह ने आगे यह भी बतलाया है कि दिनांक 28.03.2023 को अग्रेषण पत्र मय एक सील्ड पैकेट मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एफ.एस.एल., जयपुर में जमा करवाकर आया था व प्राप्ति रसीद प्रदर्श पी. 17 लाकर मालखाना इंचार्ज के सुपुर्द कर दी थी। साथ ही गवाह ने मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी. 13 ए पर अपने हस्ताक्षर होने व अग्रेषण पत्र बनवाने तथा माल को एफ.एस.एल. ले जाने बाबत् पृष्ठांकन अंकित होना बतलाया है।

53. गवाह पी.डब्ल्यू 5 मुकेश कुमार ने भी कथन किया है कि दिनांक 27.03.2023 को कांस्टेबल वेदप्रकाश मुकदमा नम्बर 184/2023 में जब्तशुदा पैकेट सील्ड मार्का ए व थानाधिकारी का पत्र लेकर अग्रेषण पत्र बनवाने हेतु आया था। उसी दिन उसने एस.पी. के आदेश से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के नाम अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर सील्ड मार्का पैकेट उसे दे दिया था। गवाह ने डिस्पेच रजिस्टर को प्रदर्श पी. 14 के रूप में प्रदर्शित करवाते हुए उस पर ए से बी वेदप्रकाश के हस्ताक्षर होना बतलाया है।

54. इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य से यह बखूबी साबित होता है कि प्रकरण के सीजर अधिकारी पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार द्वारा सील्डशुदा हालत में पैकेटस मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किए थे तथा मालखाना प्रभारी गवाह पी.डब्ल्यू 3 संत कुमार ने सील्डशुदा पैकेटस मालखाना में जमा किए थे। मालखाना प्रभारी ने सील्ड पैकेट मार्का ए को अग्रेषण पत्र बनवाने हेतु गवाह पी.डब्ल्यू 9 वेदप्रकाश को सुपुर्द किया था जिसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से अग्रेषण पत्र बनवाकर पैकेट व अग्रेषण पत्र मालखाना प्रभारी को सुपुर्द किए थे। तत्पश्चात् दिनांक 28.03.2023 को गवाह पी.डब्ल्यू 9 वेदप्रकाश ने सील्ड पैकेट को मालखाना प्रभारी से प्राप्त किया जाकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में जमा करवाया था। अभियोजन की ओर से प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर की रिपोर्ट को प्रदर्श पी. 22 के रूप में प्रदर्शित करवाया गया है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार विधि विज्ञान प्रयोगशाला , जयपुर को भिजवाया गया नमूना मार्का ए समुचित रूप से सील्ड अवस्था में था तथा उस पर लगी सील की छाप नमूने की भेजी गई सील की छाप से मेल खाती हुई थी एवं सील अक्षुण्ण थी तथा नमूना का परीक्षण किए जाने पर उसमें मादक पदार्थ हीरोइन पाया गया था।

55. उपरोक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि सीजर अधिकारी द्वारा मौका पर नमूने लिए जाकर उन्हें सीलचिट किया गया था जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर में जमा

करवाए जाने तक सीलड अवस्था में रहा था। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में बरामदशुदा मादक पदार्थ में से नमूना लेने से लेकर उसे विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जमा करवाए जाने हेतु नमूना अक्षुण्ण रहने के सम्बन्ध में सम्पूर्ण श्रृंखला को साबित किया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 52 ए के तहत इन्वेंट्री की कार्यवाही दो माह बाद किए जाने तथा इन्वेंट्री के दौरान लिए गए नमूना को परीक्षण हेतु नहीं भेजने सम्बन्धी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण में अभियुक्त रामू से बरामदशुदा मादक पदार्थ में से जो नमूना लिया गया था, वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को परीक्षण हेतु भिजवाने तक अक्षुण्ण नहीं रहा हो। अभियोजन पक्ष की ओर से सीजर अधिकारी द्वारा लिए गए नमूना को विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भिजवाने तक नमूना अक्षुण्ण रहने की श्रृंखलाबद्ध साक्ष्य प्रस्तुत की गई है इसलिए अधिनियम की धारा 52 ए के तहत इन्वेंट्री कार्यवाही विलम्ब से करवाए जाने व इन्वेंट्री के समय लिया गया नमूना परीक्षण हेतु नहीं भेजे जाने से नमूना अक्षुण्ण नहीं रहने सम्बन्धी बचाव पक्ष द्वारा लिए गए तर्क से उन्हें कोई मदद प्राप्त नहीं होती है।

56. प्रकरण में जहाँ तक अधिनियम की धारा 57 की पालना का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में सीजर अधिकारी पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे का कथन है कि अधिनियम की धारा 57 की इत्तिला प्रदर्श पी. 16 उच्च अधिकारियों को भिजवाई गई थी जिस पर ए से बी डिस्पेच नम्बर अंकित है, सी से डी उप अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार व ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाह पी.डब्ल्यू 6 रामलाल ने कथन किया है कि दिनांक 27.03.2023 को पुलिस थाना कोतवाली से मुकदमा नम्बर 184/2023 में अधिनियम की धारा 57 की मूल सूचना लेकर आया था जिसे उप अधीक्षक द्वारा रिसीव्ड कर हस्ताक्षर करवाये थे। उसने रिसीव्ड रजिस्टर प्रदर्श पी. 15 के क्रम संख्या 3848 पर इन्द्राज किया था। अधिनियम की धारा 57 की इत्तिला प्रदर्श पी. 16 पर ए से बी डिस्पेच नम्बर व सी से डी उप अधीक्षक वीरेन्द्र कुमार शर्मा के हस्ताक्षर है। अधिनियम की धारा 57 की इत्तिला प्रदर्श पी. 16 पर वीरेन्द्र कुमार शर्मा पुलिस पुलिस उप अधीक्षक वृत्त सीकर शहर की प्राप्ति रसीद दिनांक सहित अंकित है। इस प्रकार प्रकरण में की गई कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट यथासमय उच्चाधिकारियों को प्रेषित किए जाने से अधिनियम की धारा 57 की पालना किया जाना प्रमाणित होता है।

57. प्रकरण में जहाँ तक बरामदगीस्थल आबादी क्षेत्र में अवस्थित होने, बरामदगीस्थल से 200 मीटर की दूरी पर मुख्य सडक, दुकानात अवस्थित होकर आवागमन होने एवं पांच सौ मीटर के दायरे में सरकारी कार्यालय होने के बावजूद सीजर अधिकारी द्वारा स्वतंत्र गवाह नहीं बनाए जाने का प्रश्न है, यह सही है कि प्रकरण के सीजर अधिकारी व पुलिस जाप्ता के सदस्यगण ने बरामदगी स्थल आबादी क्षेत्र में होकर उसके आसपास दुकानात अवस्थित होना व पांच सौ मीटर के दायरे में सरकारी कार्यालय मौजूद होने सम्बन्धी प्रतिपरीक्षण में कथन किए है किन्तु गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे व पुलिस जाप्ता के अन्य सदस्यगण गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली, पी.डब्ल्यू 2 दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू 4 लक्ष्मणराम, पी.डब्ल्यू 7 दुर्गाराम व पी.डब्ल्यू 8 दलीप कुमार ने सभी ने एक स्वर में यह कथन किया है कि स्वतंत्र गवाह की तलबी के लिए गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक को भेजा गया था जिसने कुछ समय बाद आकर सीजर अधिकारी को यह बतलाया था कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने हेतु तैयार नहीं है। सीजर अधिकारी गवाह पी.डब्ल्यू 11 पवन कुमार चौबे द्वारा गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली को स्वतंत्र मौतबीरान की तलबी बाबत् दिए गए नोटिस प्रदर्श पी. 2 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त नोटिस पर हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक ने इस आशय की रिपोर्ट अंकित है कि कार्यवाही हेतु मौतबिर मामुर करने हेतु स्वतंत्र गवाहान की आस पड़ौस में तलाशी की गई, मगर शख्स रामू स्थानीय कॉलोनी का निवासी होने व स्थानीय आबादी मुस्लिम आबादी होने तथा वर्तमान में रमजान का महिना होने पर अधिकतर व्यक्तियों द्वारा रोजे रखने के कारण कोई भी व्यक्ति कार्यवाही में मौतबीर बनने के लिए तैयार नहीं है।

58. इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में सीजर अधिकारी द्वारा बरामदगी से पूर्व मौका पर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक को नोटिस देकर रवाना किया गया था किन्तु कोई व्यक्ति स्वतंत्र गवाह बनने को तैयार नहीं होने पर सीजर अधिकारी द्वारा पुलिस जाप्ता में मौजूद गवाह पी.डब्ल्यू 1 हिदायत अली सहायक उप निरीक्षक व गवाह पी.डब्ल्यू 7 दुर्गाराम को स्वतंत्र मौतबीर कायम कर उनकी उपस्थिति में जब्ती की कार्यवाही सम्पादित की गई थी। न्यायिक नजीर कुलविन्दर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य 2015 (6) एससीसी 674 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत प्रतिपादित किया गया है कि यदि पुलिस अधिकारियों की गवाही विश्वसनीय एवं भरोसेमंद हो तो केवल स्वतंत्र गवाह के अभाव

में उसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य से अभियुक्त रामू के कब्जे से मादक पदार्थ स्मैक पाउडर की बरामदगी युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है तथा प्रकरण में मौका पर स्वतंत्र गवाह की तलबी नहीं होने से पुलिसकर्मी गवाहान के समक्ष जब्ती की कार्यवाही की गई है, इसलिए फर्द जब्ती के गवाहान केवल मात्र पुलिसकर्मी गवाह होने के आधार पर उनकी साक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता है।

59. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से यह तथ्य सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 26.03.2023 को समय 11.30 ए.एम. पर सीजर अधिकारी पवन कुमार चौबे द्वारा पुलिस जाप्ता के साथ संदिग्ध व बदमाशान की चैकिंग हेतु कस्बा सीकर में गश्त करते हुए जब पुलिस चौकी नार्थ सीकर के आगे पावर हाउस के सामने पहुँचे तो गली से अभियुक्त रामू अपने गले में एक बैग डाले हुए मुख्य सडक की तरफ आता हुआ दिखाई दिया जो पुलिस जाप्ता को देखकर वापस जाने लगा तो उसको रोककर नाम, पता पूछा गया एवं उससे वापस जाने का कारण पूछा तो उसने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। अभियुक्त रामू की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत होने व उसके पास संदिग्ध वस्तु मादक पदार्थ होने की आशंका के मध्यनजर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु पुलिस जाप्ता के सदस्य हिदायत अली सहायक पुलिस निरीक्षक को भेजा गया था किन्तु मौका पर स्वतंत्र गवाहान की तलबी सुनिश्चित नहीं होने पर पुलिस जाप्ता के सदस्यों को मौतबीर कायम कर उनके समक्ष अभियुक्त रामू को अधिनियम की धारा 50 के तहत नोटिस दिया जाकर किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी देने का विकल्प दिया गया था किन्तु अभियुक्त रामू ने सीजर अधिकारी से तलाशी लिवाने की सहमति प्रकट की थी। सीजर अधिकारी द्वारा अभियुक्त के कब्जे में मिले बैग की तलाशी लिए जाने पर उसमें मादक पदार्थ स्मैक पाडर, मादक पदार्थ बिक्री की राशि व अभियुक्त का आधार कार्ड बरामद हुआ था। बरामदशुदा मादक पदार्थ में से मौका पर नमूना सैम्पल व कंट्रोल सैम्पल लिया जाकर उन्हें मौका पर सील्ड किया गया था। नमूना को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर भिजवाए जाने पर नमूना में मादक पदार्थ हीरोइन होना पाया गया था। अतः अभियुक्त रामू के विरूद्ध आरोपित अपराध अधिनियम की धारा 8/21 युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित पाए जाने से अभियुक्त रामू को उक्त अपराध में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के अपराध बाबत् साक्ष्यः–

60. प्रकरण में अभियुक्त रामू से जब्तशुदा मादक पदार्थ अभियुक्त रामू द्वारा सह–अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख से क्रय किया जाना बतलाने के आधार पर अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख को प्रकरण में संयोजित किया गया है। गवाह पी.डब्ल्यू 10 अशोक अन्वेषण अधिकारी ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्त रामू ने इत्तिला प्रदर्श पी. 18 इस आशय की दी थी कि वह व उसका दोस्त मोहम्मद शाहरूख को उनके मौहल्ले में फैरी वाला शख्स मादक पदार्थ बेचकर जाता है, जिसको वह शक्ल से पहचानता है इसलिए चलकर बता सकता है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि अनुसंधान के दौरान अभियुक्त रामू ने उसे इत्तिला प्रदर्श पी. 19 इस आशय की दी थी कि वह कभी कभार स्मैक जयपुर से लेकर आता था, उस स्थान व व्यक्ति को साथ चलकर बता सकता है। साथ ही कथन किया है कि जैर हिरासत मुलजिम शाहरूख ने उसे इत्तिला प्रदर्श पी. 20 इस आशय की दी थी कि उसे व उसके दोस्त रामू को उनके मौहल्ले में फैरी वाला एक शख्स मादक पदार्थ बेचकर जाता है जिसको वह शक्ल से जानता है व उसके बारे में चलकर बता सकता है। गवाह ने आगे यह भी कथन किया है कि जैर हिरासत मुलजिम ने इत्तिला प्रदर्श पी. 21 इस आशय की दी थी कि उसने रामू को स्मैक दिया था, जो वह जयपुर से लेकर आया था तथा वह स्थान व व्यक्ति साथ चलकर बता सकता है।

61. गवाह पी.डब्ल्यू 10 अशोक अन्वेषण अधिकारी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में अभियुक्त शाहरूख को रामू की इत्तिला के आधार पर आरोपी माना था। अभियुक्त शाहरूख की गिरफ्तारी के समय उसका मोबाईल फोन जामा तलाशी में मिला था। शाहरूख व रामू के बीच मोबाईल पर आपस में बातचीत होती या मैसेज होते, इस संबंध में सीडीआर पत्रावली के संलग्न नहीं है। इत्तिला प्रदर्श पी. 20 व प्रदर्श पी. 21 किसी स्वतंत्र साक्षी की उपस्थिति में नहीं ली गई थी। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि धारा 27 की इत्तिला के आधार पर किसी भी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त शाहरूख से कोई संदिग्ध वस्तु उसकी जामा तलाशी व उसके मकान से अनुसंधान के दौरान नहीं मिली थी। शाहरूख जयपुर में किसी मादक पदार्थ विक्रेता के सम्पर्क में हो, ऐसा तथ्य चार्जशीट पर अंकित नहीं है और ना ही अनुसंधान के दौरान आया है।

62. इस प्रकार तथ्यों से स्पष्ट है कि अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख को प्रकरण में केवल और केवल अभियुक्त रामू की इत्तिला के आधार पर संयोजित किया गया है। प्रकरण के अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख की जामा तलाशी में फोन मिलना भी बतलाया है किन्तु अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त रामू एवं सह–अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के मध्य आपस में बातचीत होने अथवा मैसेज होने के सम्बन्ध में सीडीआर प्रस्तुत नहीं की गई है।

63. इस प्रकार प्रकरण में अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के विरूद्ध आरोपित अपराध अधिनियम की धारा 8/29 के सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से कोई स्वतंत्र एवं पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन का मामला केवल सह–अभियुक्त रामू द्वारा दी गई इत्तिला के आधार पर आधारित है। अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है तथा षड़यंत्र में उसकी सहभागिता दर्शाने वाला कोई कॉल रिकार्ड, वित्तीय लेनदेन, निगरानी साक्ष्य अथवा अन्य स्वतंत्र सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः केवल मात्र सह –अभियुक्त रामू की इत्तिला के आधार पर अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/29 का आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित नहीं माना जा सकता है।

64. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त रामू के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/21 का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है तथा अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के विरूद्ध अधिनियम की धारा 8/29 का अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख को अधिनियम की धारा 8/29 के आरोप में दोषमुक्त किए जाने योग्य पाया जाता है तथा अभियुक्त रामू को अधिनियम की धारा 8/21 के आरोप में दोषसिद्ध किए जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

65. परिणामतः अभियुक्त रामू पुत्र धर्मसिंह उर्फ धन सिंह निवासी ग्राम तीखा तहसील दिपाईल सिलगढ़ी जिला टोटी नेपाल (हाल आबाद वार्ड नंबर 65 बिस्मिल्ला कॉलोनी फतेहपुर रोड, सीकर पुलिस थाना कोतवाली सीकर जिला सीकर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

66. अभियुक्त रामू जमानत पर है, इसलिए उसके न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत् लिए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त रामू को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाता है। अभियुक्त को सजा के बिन्दु पर सुना जाना न्यायोचित है।

67. अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख पुत्र मोहम्मद युनूस निवासी वार्ड नंबर 58 मिलत नगर पाडा मण्डी के पास दोनों रेल्वे लाईनों के बीच, सीकर पुलिस थाना कोतवाली सीकर जिला सीकर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 8/29 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के आरोप में दोषमुक्त किया जाता है।

68. अभियुक्त मोहम्मद शाहरूख के न्यायालय में नियमित हाजरी बाबत् लिए गए जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(रूपा गुप्ता)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश) सीकर

69. निर्णय आज दिनांक 20.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपा गुप्ता)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश) सीकर

दिनांकः– 20.06.2026

70. निर्णयानुसार अभियुक्त रामू व उसके अधिवक्ता को सजा के बिन्दु पर सुना गया। उनकी ओर से निवेदन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है तथा वह लंबे समय से अभीक्षा भुगत रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाते हुए न्यूनतम दंड से दंडित किये जाने की प्रार्थना की गई। इसके विपरीत विशिष्ट लोक अभियोजक ने अभियुक्त के उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए कठोर दण्ड से दंडित करने का निवेदन किया।

71. उभय पक्ष के तर्कों को सुनकर उन पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

72. प्रकरण में अभियुक्त रामू के कब्जे से 9 ग्राम 60 मिलीग्राम मादक पदार्थ स्मैक पाउडर (हीरोइन) की बरामदगी हुई है तथा उसे अधिनियम की धारा 8/21 के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा न्यूनतम से अधिक व वाणिज्यिक मात्रा से कम है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त रामू को निम्न प्रकार दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

दण्डादेश

73. परिणामतः अभियुक्त रामू पुत्र धर्मसिंह उर्फ धन सिंह निवासी ग्राम तीखा तहसील दिपाईल सिलगढ़ी जिला टोटी नेपाल (हाल आबाद वार्ड नंबर 65 बिस्मिल्ला कॉलोनी फतेहपुर रोड, सीकर पुलिस थाना कोतवाली सीकर जिला सीकर को धारा 8/21 स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर दो वर्ष के कठोर कारावास तथा बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अदम अदायगी अर्थदण्ड अभियुक्त दो मास का कठोर कारावास अतिरिक्त रूप से भुगतेगा।

74. अभियुक्त रामू द्वारा इस प्रकरण में पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गई अवधि धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता (धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के प्रावधानानुसार मूल सजा में समायोजित की जावे। इस आशय का नोट सजा वारंट पर अंकित किया जावे। अभियुक्त को सजा भुगताये जाने हेतु उक्तानुसार सजा वारंट बनाया जाकर उसे जिला कारागृह, सीकर भेजा जावे।

75. प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने नमूना सैम्पल, कन्ट्रोल सैम्पल व शेष बरामदशुदा मादक पदार्थ स्मैक पाउडर को साबित किया है। इस कारण प्रकरण के नमूना सैम्पल व कन्ट्रोल सैम्पल को सुरक्षित रखा जाकर शेष माल का निस्तारण बाद गुजरने मियाद अपील अधिनियम की धारा 52 (ए) के प्रावधानानुसार किया जावे।

76. प्रकरण में अभियुक्त रामू के कब्जे से बरामद बैग तथा बैग की तलाशी में बरामदशुदा ₹ 42,750, इलेक्ट्रॉनिक कांटा व आधार कार्ड को राजसात किया जाता है। बाद मियाद अपील बैग व इलेक्ट्रॉनिक कांटा नष्ट किए जावें। आधार कार्ड अभियुक्त रामू को लौटा दिया जावे तथा राशि ₹ 42,750 राजकोष में जमा करवाई जावे।

77. उक्तानुसार मालखाना निस्तारण बाबत् तहरीर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली सीकर को जारी की जावे। निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अभियुक्त रामू को तुरन्त नियमानुसार जारी हो।

(रूपा गुप्ता)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश) सीकर

78. दण्डादेश आज दिनांक 20.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूपा गुप्ता)
विशिष्ट न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट प्रकरण,
(सेशन न्यायाधीश) सीकर

HARIRAM
Steno Gr. I "Authenticate document"
Digitally signed by HARIRAM
Date: 2026.06.24 13:38:13 +0530
''प्रामाणिक दस्तावेज''